10/5/16 पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत कैम्प सामेडाखुर्द पर पेश हुई पक्षकार उपस्थित है। कैम्प में पक्षकारान को सुना गया। प्रकरण में मुख्य विवाद खसरा नम्बर $\frac{916}{0.52}$ जो वादी का है, तथा ख० नं० $\frac{911}{0.34}$ जो प्रति० का है, तथा 915 जो राजकीय भूमि है, के सीमा विवाद का है।

प्रकरण में पक्षकारान को सम-झाईश की गई। जहाँ एक ओर वादी का कथन है, कि प्रतिवादीगण उसके खाते की भूमि पर कब्जा मदाखलत-मजाहमत करते है, वहीं दूसरी तरफ प्रति० सोनाबाई का कथन है कि उसके द्वारा अपने खेत की पैमाईश करवाई गई

(P.T.O)

लालू
R.N. सोनाबाई

प्रभुलाल

हुकमचन्द नायक
(पटवारकर्ता)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	है तथा बाद पैमाईश ही अपने खेत पर खेती करना चाही है। साथ ही वादी का कथन है, कि प्रतिवादीगण अक्सर वादी के खेत में घुस जाते हैं। पैमाईश के बाद पक्षकार इस बात पर एकराय हैं, कि यदि उनकी भूमि की विधिवत पैमाईश कर दी जाती है, तो वे निशानदेही उपरान्त अपनी-अपनी भूमि पर खेती करेंगे। पैमाईश के बाद यदि किसी पक्ष के पास खाते में दर्ज रकबे से ज्यादा रकबा पाया जाता है, और दूसरे पक्ष का रकबा कम पाया जाता है, तो ज्यादा रकबे वाला पक्ष कमी रकबे वाले पक्ष को भौतिक कब्जा संभला देगा। इस प्रकार पक्षकारान के बीच पैमाईश की शर्त पर विवादित बिन्दुओं का अवसान हो जाना दर्ज हुआ है। अतः पक्षकारान की सहमति की हद तक वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिये-

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जाते हैं, कि तहसीलदार रामगंजमण्डी ग्राम भवासा की आराजी खसरा नम्बर $\frac{911}{0.94}$, $\frac{915}{0.11}$ $\frac{916}{0.52}$ हेक्टर की पैमाईश हेतु टीम का गठन कर विधिवत पैमाईश करावे। फर्द पैमाईश वादी व प्रति० को एक-एक प्रति दी जावे। यदि बाद पैमाईश किसी पक्ष का किसी भी भूमि पर कब्जा पाया जावे, तो मौके पर ही बेदखल कर संबंधित को कब्जा सुपुर्द किया जावे। तदनुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो।	
	निर्णय आज दिनांक 19-05-2016 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर लोक अदालत-2016 कैम्प जालेड़ाखुर्द पर सुनाया गया।	
	(चिन्मयी गोपाल) (I.A.S. प्रशिक्षु) उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	